राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 59 / 2023

जनेश्वर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, अतिरिक्त मुख्य सिचव वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान, सचिवालय जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर।
4. श्री रघुवीर मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम जू अधीक्षक कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर।
5. श्री रफीक खान विधायक आदर्श नगर जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.1.2023
आदेश की दिनांक : 25.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज जयपुर प्रादेशिक उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर जू अधीक्षक कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनेतिक दुर्भावनावश किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानांतरण 6 माह की अल्प अवधि में कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति है कि किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन

स्थन से दो वर्ष पूर्व नहीं किया जाना चाहिए। उक्त नीति का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी को उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के कार्य की झूठी शिकायत के आधार पर रानीतिक दुर्भावनावश अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के लिए किया गया है जो अवैध अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज जयपुर प्रादैशिक उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर 1991 एस.सी 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Goverment servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at on place or the other, he is liable to be transferred from on place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

5. जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस

बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है किः–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य